आर्डर नम्बर व तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में कार्यवाही
	बनाम / रामदेव	
12/9/19	अधि० अभिभाषक उप० हो अधि० प्रार्थी ने दस्तावेज पेश किये। आर्डरशीट हेतु समय चाहा। अंतिम अवसर दिया जाकर वास्ते बहस दि० 24/9/19 को पेश हो।	
24/9/19	अधि० अभिभाषक उप०। बहस हेतु समय चाहा सो वास्ते बहस दिनांक 11/10/19 को पेश हो।	
11/10/19	पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब ...छुट्टी... पर हैं। सो पत्रावली का आदेशानुसार दिनांक 6/11/19 को पेश हो।	
6/11/19	अधि० अभिभाषक उप० हो अधि० प्रार्थीगण ने दस्ता० पेश किये। आर्डरशीट प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि साबिक आ. ख. नं. 224/4:09, 509/0:08, 223/0:19, 225/4:05, 641/0:03, 642/0:16 कुल किता 6 रकबा 11:00 बीघा वाके ग्राम आंवता तहसील टोडारायसिंह जिनके हाल ख. नं. 103/1641 रकबा 0.24 है०, 104 रकबा 1.08 है०, 103 रकबा 1.13 है० प्रार्थीगण के बुजुर्गों द्वारा बनायी व बाहायी हुई है, प्रार्थीगण की पैतृक है जो साबिक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पूर्वज हरिनारायण पुत्र बिहारी लाल ब्राह्मण नि. आंवता की तन्हा कब्जे काश्त व खातेदारी की थी जिसे हरिनारायण ने जरिये रजि० दान विलेख से प्रार्थीगण के नाम कर दी थी। तब से प्रार्थीगण उक्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। भू-प्रबन्ध द्वारा साबिक ख. नं. 223/0:19, 225/4:05, 641/0:03, 642/0:16 के हाल ख. नं. 103/1641 रकबा 0.25 है०, 104 रकबा 1.08 है०, 599 रकबा 0.04 है०, 600 रकबा 0.20 है० इस प्रकार साबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज 11 बीघा की जगह मात्र 1.56 है० की ही प्रार्थीगण को खातेदारी प्रदान की। तथा शेष साबिक ख. नं. 509 रकबा 0:08 बीघा, 224 रकबा 4:09 बीघा के हाल ख. नं. 103 रकबा 1.13 है०, 641 रकबा 0.10 है० मन्दिर	उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी

ठा. श्री शालगराम जी विराज मेंट खातेदार के गलत गलत रूप से दर्ज कर दी। जबकि ग्राम मांवता में ठा. शालगराम जी महाराज का कोई मन्दिर ही नहीं था जिस बाबत उपखण्ड भू-प्रबन्ध अधिकारी के यहां प्रकरण सं. 7/93 पेश किया जिसमें दि० 6/10/93 को निर्णय पारित कर तादेह ख. नं. 224 व 509 का इन्द्राज बकायदेही पत्नी कुन्दनलाल व सतीश चन्द्र S/o कुन्दनलाल के नाम दर्ज करने के आदेश किये परन्तु उसकी पालना नहीं की। अप्रार्थीगण जबरन उक्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं वर्ष 1984 में ओंकारलाल S/o बद्रीलाल पुरोहित नि. मांवता ने मन्दिर शालगराम जी का पुजारी बताकर एक गलत दावा प्र. नं. 1/64 व बाद में रिवीजन प्रार्थना पत्र नं. 24/85 मय प्रार्थीगण के सिविल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां पेश किये जो खारिज हुए तथा प्रार्थीगण का दावा डिक्री हुआ। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण की बेजा हरकतों की वजह से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः लम्बित दावा प्रा०पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे आ. ख. नम्बर 103/1654 रकबा 0.25 हे०, 104 रकबा 1.08 हे०, 103 रकबा 1.13 हे०, 654 रकबा 0.10 हे० वाके ग्राम मांवता तह० टोडारायसिंह में प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी में किसी प्रकार की बेजा मुदाखलत नहीं करें। फसल काश्त करने व फसल काटने, उपभोग उपयोग से मना नहीं करें प्रार्थीगण को बेदखल न करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गयी जिस पर अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बिना कब्जा व बिना विधिक अधिकार के व बिना वाद कारण के न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं था वास्तविक स्थिति यह है कि सम्वत् 2017 में साबिक आ. ख. नं. 224 रकबा 4:09 बीघा, 509 रकबा 0:08 बीघा माफी मंदिर श्री सालिगराम जी महाराज महाराज वाके मौजा मांवता के खातेदारी में अंकित थी। जिसको गलत रूप से हरिनारायण एक मात्र पुजारी दर्ज रिकार्ड होने से गलत रूप से प्रार्थीगण के नाम दान विलेख करके किया जिसका उसको कोई हक अधिकार नहीं था। क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण उक्त दान पत्र शून्य था। इसके बाद सम्वत् 2036 से 2038 में जो सैटलमेन्ट की कार्यवाही

हुई उसमें आराजियात वापस माफी मन्दिर के नाम अंकित है जो सही है हाल सैटलमेंट में आराजीयात पूर्व सैटलमेंट के मुताबिक वर्तमान में मंदिर श्री सालगराम जी के नाम खातेदारी में लगी थी जो सही रूप से खातेदारी में दर्ज थी जिसको प्रार्थीगण अपने नाम खातेदारी में लगाने का कतई अधिकारी नहीं थे मंदिर की सेवा पूजा भोग आरती व्यवस्था मंदिर की आराजियात से प्राप्त आय से ही होती थी प्रार्थीगण उक्त आराजियात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बहैसियत अतिक्रमी काबिज होना चाहते थे मंदिर की भूमि से इनका कोई सरोकार नहीं था मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से उसकी सम्पदा का दान नहीं किया जा सकता है। व अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजीयात मंदिर मूर्ति जो कि कानूनन शाश्वत नाबालिग है जिसकी संरक्षक राज्य सरकार है। प्रार्थीगण बिना राज्य सरकार को पक्षकार बनाये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत् 2032-35 वाके ग्राम मांवता, सम्वत् 2033 से 2036, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 2068-71, पूजा मंदिर प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मांवता, फोटो प्रति आदेशिका दि० 6.12.93 ASO टोंक, फोटो प्रति दान पत्र दि० 17/5/76, आदेशिका दि० 15/3/2000 सिविल कोर्ट टोडारायसिंह प्रकरण मूर्ति सालिगराम जी बनाम बनाम मय वाद पत्र, आदेश दि० ~~[illegible]~~ 22.12.99 मय दावा उनवानी सतीशचन्द बनाम सोना व० क्रम डिक्री, प्रमाणपत्र सरपंच ग्रा. पं. मांवता दि० 26/1/91, अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश, पेश किये। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब की ताईद में फोटो प्रति नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2017 व० तारीफाद बन्दोबस्त वाके ग्राम मांवता पेश की।

बहस अभिभाषकगण तमाम की गयी जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र जवाब के अनुसार रही। हमने पत्रावली का आलोचनात्मक अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल आ. ख. नं. 103/1654 (0.25), 104 (1.08) वाके मांवता, प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी हैं तथा साबिक रिकार्ड में भी इन्हीं के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदारी थी लेकिन हाल आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 1.13 हे०, 654 रकबा 0.10 हे० वाके ग्राम मांवता मंदिर श्री ठाकुर जी सालगराम जी विराजमान मेंट खातेदार के नाम दर्ज हैं जो साबिक

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	रिकार्ड नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2017 से साहिक बन्दोबस्त के अनुसार ग्राम आंवला में माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी बकेदे रहतमान पुजारी हरिनारायण पुत्र लक्ष्मण कौम ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज थी हाल ख. नं. $\frac{103}{1.13}$ जो साबिक ख. नं. $\frac{526}{5.09}$ से बनना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से साबित थी जिसकी साबिक रिकार्ड ~~में मिलान~~ बन्दोबस्त खतौनी सम्वत 2017 में डोली दर्ज है तथा हाल ख. नं. $\frac{651}{0.10}$ जो कि साबिक ख. नं. $\frac{509}{0.08}$ से बनना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबित थे अर्थात् हाल आराजी ख. नं. $\frac{103}{1.13}$, $\frac{651}{0.10}$ साबिक रिकार्ड में भी माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी के खातेदारी में डोली के रूप में दर्ज थी। मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। ~~श्री~~ ठाकुर जी मूर्ति श्री सालगराम जी पुजारी हरिनारायण पुत्र लक्ष्मण ब्राह्मण था। वह मात्र सेवा पूजा करने के लिए ही था। उसे ठाकुर जी महाराज की खातेदारी भूमि को किसी भी तरह से अन्तरण, दान विलेख वगैरा करने का लेश मात्र भी अधिकार नहीं था। उक्त आराजियात शुरू से आज तक मूर्ति श्री सालगराम जी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जो शाश्वत नाबालिग है, की खातेदारी भूमि बाबत प्रार्थीगण को किसी भी रूप में कोई अधिकार नहीं है न ही उक्त आराजीयात बाबत प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है प्रार्थीगण उनके खातेदारी ख. नं. 103/655 रकबा 0.25 हे०, 105 रकबा 1.08 हे० की आड़ में ठा. श्री सालिगराम जी महाराज की खातेदारी भूमि ख. नं. 103 रकबा 1.13 हे०, 651 रकबा 0.10 हे० बाबत कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण का केस प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा न ही प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना साबित है बल्कि प्रार्थीगण गलत तथ्य अंकित कर अर्जी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से वैसे भी श्री मन्दिर आदि के हितों की सुरक्षा करना आवश्यक भी है लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(डॉ. सूरजसिंह नेगी) उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह